

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारी:-श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर:-92/16 प्रार्थना पत्र

उनवान

- 1-गोपी पिता अमरा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
- 2-नन्दू पूत्री अमरा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
- 3-बाली पूत्री अमरा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रार्थीगण

बनाम

- 1-कैलाश पिता सुआलाल नाई निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
- 2-मथरालाल पिता अमरचन्द नाई निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
- 3-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए. आर०टी०एक्ट.

उपस्थित

1. फारुख मोहम्मद-

अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 06.06.2017

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प थला में पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम थला पटवार हल्का थला तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे कास्त की आराजी संख्या 1396 रकबा 0.01 है 0 गै०मु० आचा०, आराजी संख्या 1901/1397 रकबा 1.18 है 0, आराजी संख्या 1904/1395 रकबा 0.11 है 0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.30 है 0 भूमि खाता संख्या 110 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 तक प्रस्तुत है। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के समीप उत्तरी दिशा की ओर विपक्षी संख्या 1 व 2 की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे कास्त की आराजी संख्या 1393 रकबा 1.08 है 0, किस्म छापर कदीम. व आराजी संख्या 1409 रकबा 0.65 है 0 भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 तक प्रस्तुत है। प्रार्थीगण अपनी उक्त वर्णित आराजियात पर पैदल, संज, बैल, ट्रैक्टर आदि से आवागमन विपक्षी संख्या 1 व 2 की आराजी संख्या 1393 व 1409 के मध्य स्थित पाली से होकर करते चले आ रहे हैं। विपक्षी संख्या 1, 2 को उक्त आराजियात वर्ष 2004 में आवंटन हुई उससे पूर्व समय से ही प्रार्थीगण अपनी आराजियात पर आवागमन पैदल संज, बैल, ट्रैक्टर आदि से विपक्षीगण की उक्त आराजियात पर होकर करते चले आ रहे हैं। आवंटन से पूर्व विपक्षीगण की आराजियात बिलानाम पड़त दर्ज थी। आवंटन के पश्चात विपक्षीगण ने प्रार्थीगण के आवागमन के रास्ते को अवरुद्ध करना शुरू कर दिया तथा आये दिन फसल कास्त के समय रास्ता बन्द करने लग गये। प्रार्थीगण की आराजियात पर आवागमन का अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। विपक्षीगण प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के आवागमन के रास्ते को अवरुद्ध करने की गरज से दिनांक 4.6.2016 को जबरन रास्ते की भूमि

d

पर रास्ता बन्द करन कि गरज पत्थर डलवा दिये। प्रार्थी ने रास्ता बन्द नही करने हेतू विपक्षीगण को कहा लेकिन विपक्षीगण नही माने। जिससे विवश होकर प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ा है। प्रार्थीगण की आराजियात जिनका वर्णन कलम नंबर एक मे किया गया आवागमन विपक्षीगण की दोनो आराजियात की बिच की पाली से होकर किया जाता रहा है। लेकिन उक्त आवागमन रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही होने से विपक्षीगण हर वर्ष फसल काशत के दौरान व्यवधान उत्पन्न करते रहते है। जिससे प्रार्थीगण उक्त रास्ते की भूमि को रेकार्ड एवं राजस्व नक्शे मे दर्ज करवाना चाहते है। इस हेतू यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ा है। प्रार्थीगण रास्ते मे समायोजित होने वाली भूमि की नियमानुसार डि.एल.सी. राशी जमा करने को तैयार है।


प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 19.07.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षगण बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही कि गई। राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2017 मे भी नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार रायपुर द्वारा 07 बिन्दुओ पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई। प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार ग्राम थला तहसील रायपुर के उक्त आराजी नम्बर 1393 में मौके पर स्थित रास्ते को बंद कर रखा है। मौके पर रास्ते के उत्तरी व दक्षिणी ओर पत्थर डाल कर बंद कर रखा है। मौके पर उक्त विवादित रास्ते के अलावा अन्य कोई समूचित रास्ता नही है। वर्तमान में उक्त आराजियात (1396-1901/1399 एवं 1904/1395) पर श्री मथरालाल पिता अमरचन्द नाई की के आराजी संख्या 1393 में होकर जाया जा रहा है। प्रस्तावित रास्ता खाता नंबर 1393 में 500 वर्ग मीटर भूमि मे आता है जिसकी वर्तमान प्रचलित दर बाजार 77900/- रुपये प्रति बीघा से दुगनी 36050/- रुपये बनती है जो प्रार्थी जमा कराने को तैयार है। प्रस्तावित रास्ता संलग्न ट्रेस में लाल स्याही में दर्शाया गया है। मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता नही है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया। ग्राम थला पटवार हल्का थला तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे कास्त की आराजी संख्या 1396 रकबा 0.01 है 0 गै0मु0 आचा0 आराजी संख्या 1901/1397 रकबा 1.18 है0, आराजी संख्या 1904/1395 रकबा 0.11 है0 कुल कित 3 कुल रकबा 1.30 है0 भूमि में जाने के लिये विपक्षीगण की आराजी नंबर 1393 रकबा 1.08 है0 मे 500 वर्ग मीटर (0.05 है0) भूमि रास्ते के रूप मे दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा उचित समझता हूं। अतः


आदेश

ग्राम थला पटवार हल्का थला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे कास्त की आराजी संख्या 1396 रकबा 0.01 है 0 गै0मु0 आचा0, आराजी संख्या 1901/1397 रकबा 1.18 है0, आराजी संख्या 1904/1395 रकबा 0.11 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.30 है0 भूमि में जाने के लिये विपक्षीगण की आराजी नंबर 1393 रकबा 1.08 है0 में से 500 वर्ग मीटर (0.05 है0) भूमि रास्ते के रूप में दर्ज किया जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता है। रास्ते के रूप में उपयोग आने वाली भूमि कि वर्तमान डी एल सी दर 77900/- रुपये प्रति बीघा से दुगनी 36050/- रुपये बनती है जो प्रार्थीगण से वसूल कर विपक्षीगण को दिलाई जावे।


साधुराम जाट 06/06/17
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 06.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा